राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/112 दिनांकः– 25/10/21

द्वितीय ऑन–लाईन काउन्सिलिंग हेतु सार्वजनिक सूचना

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा कौंसिल के अध्यधीन विभिन्न पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सिलिंग के आधार पर विभिन्न संस्थानों/कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियो ने अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दी है। प्रथम काउन्सिलिंग व अपवर्ड मूवमेन्ट के उपरान्त विभिन्न संस्थानों/कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु कौंसिल द्वारा द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग का आयोजन किया जा रहा है।

1. विकल्प पत्र भरने की दिनांक, समय एवं प्रक्रियाः– अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.rajasthanparamedicalcoucil.org पर दिये गये लिंक ***Second Couseling Option Form 2020-21 Link*** पर जाकर दिनांक 26.10.2021 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 31.10.2021 तक अपना **SSO ID & Password** के माध्यम से विकल्प पत्र भर सकते हैं।

2. पात्रता एवं विकल्प पत्र भरने का विवरण

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउन्सिलिंग में कोई संस्थान/कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है अथवा जिनका आवंटन उनकी आरक्षित श्रेणी सही नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है, वे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु पात्र होंगें।

द्वितीय काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी को पूर्णतः नये सिरे से विकल्प पत्र भरना होगा अर्थात् पूर्व (आवेदन करते समय भरे गये विकल्प) में भरे गये विकल्प अमान्य होगें। विकल्प पत्र भरते समय अभ्यर्थी को पूर्व में आवेदन की भांति प्रत्येक विकल्प के लिए कॉलेज/संस्थान एवं कोर्स का चुनाव करना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय काउन्सिलिंग में पुनः विकल्प प्रस्तुत कर आवेदन नहीं किया है तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम काउन्सिलिंग में **PH** श्रेणी में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन होने के उपरांत सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापन/निरीक्षण के दौरान अयोग्य माना है तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

3. किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, TSP, Sahariya, EWS, PH, WDP/WPP आदि) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा यदि संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो उन्हें सामान्य श्रेणी में मानकर संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

समस्त संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित है।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/112 दिनांकः– 25/10/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी), राजकोम्प (R.I.S.L.), जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, संबंद्व समस्त पैरामेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही विभागीय वैबसाईट पर उपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार